रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 303] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 31, 1968/भाद्र 9, 1890
No. 303] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 31, 1968/BHADRA 9, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August 1968

S.O. 2955.—Whereas the Central Government has by its notified order in the Ministry of Industry and Supply (Department of Industry) No. S.O. 3035 dated the 24th September, 1965, issued under Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), authorised Shri U. N. Rai, Managing Director of the Bihar State Industrial Development Corporation (hereinafter referred to as the Authorised Controller) to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as M/s Hindustan Vehicles Limited, Patna, (hereinafter referred to as the "industrial undertaking") for the period specified therein;

And whereas the Central Government in the Ministry of Industry & Supply (Department of Industry) has in notification No. S.O. 3329, dated the 19th October, 1965 given certain directions under sub-section (4) of Section 18B of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) (hereinafter referred to as the said Act) to the Authorised Controller;

And whereas the Central Government in the Ministry of Industry has in notification No. S.O. 2380, dated the 6th August, 1966 specified certain matters under Section 18E of the said Act;

And whereas the Central Government deem it expedient that the powers to give directions to the said Authorised Controller under sub-section (4) of section 18B shall also be exercised by the State Government of Bihar;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 18B and section 25 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said Authorised Controller shall also comply with such directions as may be given to him by the State Government of Bihar (but not by any other Officer or authority subordinate to that Government) in matters relating to the said industrial undertaking.

[No. LEI(A)-26(15)/64.]

D. R. SUNDARAM, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1968

एस० ओ० 2956.—जबकि केन्द्रीय सरकार ने उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय (उद्योग विभाग) के अधिसूचित आदेश संख्या एस० ओ० 3035 दिनांक 24 सितम्बर, 1965 के द्वारा जो उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन जारी किया गया था, श्री यू० एन० राय, प्रबन्ध निदेशक बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (जिनका उल्लेख इसके आगे अधिकृत नियंत्रक के रूप में किया जायेगा), को मेसर्स हिन्दुस्तान वेहिकिल्स लिमिटेड, पटना (जिस का उल्लेख इसके आगे "औद्योगिक उपक्रम" के रूप में किया जायेगा) नामक औद्योगिक उपक्रम का सम्पूर्ण प्रबन्ध उसमें उल्लिखित अवधि के लिए अपने हाथ में ले लेने का अधिकार दे दिया था; और जबकि केन्द्रीय सरकार ने उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय (उद्योग विभाग) की अपनी अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3329 दिनांक, 19 अक्तूबर, 1965 में उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) (जिसका उल्लेख इसके आगे उपर्युक्त अधिनियम के रूप में किया जायेगा) की धारा 18 ख की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अधिकृत नियंत्रक को कुछ निदेश दिये हैं;

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2380, दिनांक 6 अगस्त, 1966 में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 18 ङ० के अन्तर्गत कुछ मामलों का उल्लेख किया है, और जबकि केन्द्रीय सरकार यह समयोचित समझती है कि धारा 18 ख की उप-धारा (4) के अधीन उपर्युक्त अधिकृत नियंत्रक को निदेश देने के लिए जो शक्तियां दी जायेंगी उनका प्रयोग बिहार सरकार द्वारा भी किया जायेगा। अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 18 ख की उप-धारा (4) और धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि उपर्युक्त अधिकृत नियंत्रक को बिहार राज्य सरकार (उपर्युक्त औद्योगिक उपक्रम से संबंधित मामलों में अपितु उस सरकार के किसी अन्य अधिकारी या अधीनस्थ प्राधिकार द्वारा नहीं) द्वारा जो भी निदेश दिये जायेंगे उनका वह पालन भी करेगा।

[सं० एल० ई० आई (ए०)-26(15/64)]

डी० आर० सुन्दरम, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968